10/3/21 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उप०। बहस
आपत्ति पर जा० फौ० धारा 173 (8) दं० प्र० सं०
पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवादीयान द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सम्बन्धित थानाधिकारी
की रिपोर्ट के विपरीत होने से स्वीकार की जाती
है एवं जा० फौ० धारा 173 (8) दं० प्र० सं० स्वीकार
किया जाता है। जिससे विशेष प्रकरण के अनुसंधान
जारी रखने हेतु पत्रावली भिजवाई जावे। तहसीलदार
नामजदगान को निर्णय की जानकारी सहित
पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुदा
होकर नियम के अनुसार दाखिल दफ्तर हो।
आदेश सुनाया गया।

[illegible]
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:-63/22 तारीख रजू:-06.12.2022

उनवान

1. अन्नूलाल पुत्र बुधु आयु 55 साल
2. अमरलाल पुत्र पुन्था आयु 52 साल
3. ओमवती पुत्री पून्था आयु 40 साल
4. गुड्डी बेवा गिर्राजआयु 30 साल
5. लक्ष्मी बेवा कन्हैया आयु 35 साल
6. गीताबाई पुत्री पून्था आयु 50 साल
7. देवीकरण पुत्र सागरिया आयु 45 साल
8. धर्मसिंह पुत्र पून्था आयु 38 साल
9. प्रकाश पुत्र सागरिया आयु 38 साल
10. परसादी पुत्र चुन्नी आयु 75 साल
11. शांति बेवा रामजीलाल
12. खेमराज पुत्र रामजीलाल आयु 35 साल
13. रुमन्ती बेवा रमेश आयु साल
14. राजकुमार पुत्र रमेश आयु साल
15. लक्ष्मी बेवा मन्नू आयु साल
16. मलुआ पुत्री पून्था आयु 40 साल
17. मोहरसिंह पुत्र सागरिया आयु 35 साल
18. देवीसिंह पुत्र रामखिलाडी
19. रामचन्द पुत्र बुधु आयु 42 साल
20. रामरति पुत्र बुधू आयु 35 साल
21. राजकुमार पुत्र मन्नू उम्र 28 साल
22. विष्णु पुत्र बुधू आयु 37 साल
23. शिमला पुत्री पुन्था आयू 32 साल
24. हरविलास पुत्र बुधू आयु 32 साल
25. हीरालाल पुत्र बुधू आयु 53 साल

समस्त जातियान जाटव निवासीयान लेदोरकलां तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

---वादीगण

बनाम

1. अंगूरी पुत्री सुआ
2. ओमप्रकाश पुत्र रम्मू

जाति जाटव निवासी लेदोरकलां तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

3. कमलाबाई पुत्री गुटई
4. गजानन्द पुत्र सुआ
5. गयाजीज पुत्र रम्मू
6. गीता पुत्री गुटई
7. छोटी पुत्री सुआ
8. दुलारी पुत्री सुआ
9. द्वारिका प्रसाद पुत्र गुटई
10. दीनदयाल पुत्र रम्मू
11. नारायण पुत्र रम्मू
12. परमानन्द पुत्र गिर्राज
13. प्रहलाद पुत्र सुआ
14. भंवरलाल पुत्र गुटई

सभी जातियान ब्राहमण निवासीयान लेदोरकलां तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

15. मिश्रीलाल पुत्र सुआ
16. रामकुमार पुत्र रम्मू
17. रामपति पत्नी रम्मू
18. रामदयाल पुत्र सुआ
19. रामश्री पुत्री रम्मू
20. लक्ष्मण पुत्र गणपति
21. श्यामलाल दत्तक पुत्र किशोरी
22. सुन्दरलाल पुत्र रम्मू
23. सरस्वती पुत्री गुटई
24. सावित्री पुत्र सुआ
25. हरीचरण पुत्र सुआ
26. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मासलपुर

सभी जातियान ब्राहमण निवासीयान लेदोरकलां तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

––प्रतिवादीगण

–::प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955::–

–::निर्णय::– दिनांकः–10.03.26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 92 रकवा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नं0 93 रकवा 1.21141 हैक्टेयर खसरा नं0 95 रकवा 0.3667 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 200108 हैक्टेयर वाके ग्राम लेदोर कलां तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है जिसमें वादीगण शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा वादीगण की उक्त भूमि के आगे की ओर लवे सडक सडक प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 100 व खसरा नं0 94 स्थित है तथा वादीगण प्रतिवादीगण की इसी भूमि में से होकर पचासीयों वर्षों से अपने खेतो पर आने के लिए व खेती बाडी हेतु वाहन का रास्ता निकलते आ रहे हैं। वादीगण की खातेदारी की उक्त भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है तथा वादीगण की खातेदारी में उपरोक्त नंबरान 100 एवं 94 मे होकर ही वादीगण का अपनी आराजी में आने जाने का सीधा रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग वादीगण वर्षों से शांतिपूर्वक करते चले आ रहे हैं। दिनांक 27/11/2022 को वादीगण अपनी दावा में वर्णित आराजी पर खेतों की जोत वो व सार संभाल करने हेतु जाने लगे तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को अपनी आराजी खसरा नं0 100 व 94 वाके ग्राम लेदोरखुर्द में होकर जाने से मना करने लगे तथा आमादा फिसाद हो गये

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)

वादीगण द्वारा जब प्रतिवादीगण से कहां कि हम तो पुरखों के समय से इसी रास्ते से निकलते आ रहे है तथा इस रास्ते के अलावा हमारी आराजी में जाने का कोई अन्य रास्ता नही है तो प्रतिवादीगण और भी अधिक नाराज हो गये तथा कहने लगे कि अब हम तुम लोगों को यहां से नही निकले देंगे जहां चाहो पुकारो वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण वादीगण को रास्ता नही निकलने दे रहे है इसलिये दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को रास्ता नही निकलने दिया तो वादीगण की भूमि को आने जाने का कोई जरिया नही रहेगा तथा वादीगण की आराजी रास्ते के अभाव में बंजड हो जावेगी तथा वादीगण को आराजी की आमदनी से वंचित होना पडेगा तथा वादीगण का कमाई का एक मात्र जरिया उक्त कृषि भूमि ही है इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नं0 100 में होकर अपनी आरजी में आने जाने का रास्ता दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विनाय मुखासमत दावा दिनांक 27/11/2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में आने जोन का रास्ता रोकने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी अतः दावा अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अंत रास्ता दिलाये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान के जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण नंबर 1, 3, 17 का नाम हजफ किया गया एवं प्रतिवादीगण नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं0 100 व 94 लंबे सडक है और यह कथन पूर्णतः गलत है कि वादीगण पचासों वर्षों से प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं0 100 व 94 में होकर अपने खेतों पर आने के लिये व खेतीबाडी हेतु वाहन का रास्ता निकलते आ रहे हो। सत्यता यह है कि वादीगण हम प्रतिवादीगण के खेत खसरा नं0 100 व 94 में होकर वादीगण कभी भी अपने खेतों पर आते जाते नही रहे है ना ही कभी वाहनों को निकाला है ना ही हमारे उक्त खेतों में होकर कोई रास्ता मौके पर मौजूद है। वादीगण हमेशा हमेशा से करौली–मासलपुर सडक से लगी भूमि खसरा नं0 11 जो लैदोर कला के हल्का मे है तथा भूमि खसरा नं0 87, 88/2,

करौली (राज.)

88/3, 90 जो तैदोरखुर्द के हल्का में स्थित है के मध्य में होकर अपने खेत खसरा नं0 91, 92, 93 में आते जाते रहे हैं और यही रास्ता वादीगण के लिये सुगम रहा है। प्रतिवादीगण की आरजी खसरा नं0 94 व 100 में होकर वादीगण का कोई रास्ता कभी नही रहा है किन्तु वादीगण जिन आराजीयात में होकर अपनी भूमि में आवागमन करते रहे हैं वह भूमि खसरा नं0 11, 12, 13, 14 व खसरा नं0 27 को दबंग व्यक्ति कमल मीना निवासी कसारा ने खरीद लिया है और वादीगण को रास्ता निकलने से मना कर दिया चूंकि वादीगण कमल मीना के भय से अपने पूर्व रास्ता से निकलने का साहस नही करते है और प्रतिवादीगण सभ्य, सामाजिक, कमजोर व्यक्ति होने से वादीगण ने हमारी भूमि में से रास्ता की मिथ्या कहानी बनाकर दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण की भूमि में आने जाने के लिये रास्ता करौली–मासलपुर सडके से लगे खसरा नं0 87, 88/2, 88/3, 90 व 14, 27 में होकर हमेशा हमेशा से रहा है और वादीगण खसरा नं0 100 व 94 मे होकर वादीगण की भूमि का रास्ता कभी नही रहा है। प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं0 94 व 100 की खण्डों की करीब 6 फुट उंची बाउण्ड्री कच्ची कोटरी पूव्रजों के समय की हो रही है जिसमें होकर कोई रास्ता वादीगण का नही है। वादीगण का रास्ता कमल मीना द्वारा रोक देने पर वादीगण ने उसके विरूद्ध कार्यवाही का साहस नही किया और हम प्रतिवादीगण की कमजोरी का लाभ उठाकर हमारी भूमि की कोटरी को फैलाकर जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया और हमे मारने पर आमादा हो गये तथा छुआछुत के मुकदमें में फंसाने की धमकी दी जिसकी शिकायत हमने थाना मासलपुर पर की जिस शिकायत पर वादीगण को पाबंद किया गया है। वादीगण की भूमि के लिये आने जाने का रास्ता करौली मासलपुर मुख्य सडक पर होकर हमेशा हमेशा का रहा है जिस रास्ता को वादीगण ने दावा मे छिपाया है और झूठी कहानी बनाकरा हम प्रतिवादीगण की भूमि में होकर रास्ता निकालना चाहते है यदि प्रतिवादीगण की भूमि मे होकर रास्ता निकालना चाहते है यदि प्रतिवादीगण की भूमि में होकर वादीगण को रास्ता दिया गया तो प्रतिवादीगण गरीब, मजदूर पेशा लोगों की भूमि खुर्द–बुर्द हो जावेगी और हम प्रतिवादीगण के साथ भारी अन्याय होगा। इस कारण दावा वादीगण

करौली (राज०)

खारिज होने योग्य है। अंत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार, मासलपुर डीएलसी दर एवं मौका रिपोर्ट मय नक्शा तलब की गई। जो दिनांक 13.02.2026 को प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तहसीलदार, मासलपुर दिनांक 29.01.2026 व डीएलसी दर प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न तीन बिन्दु विचारणीय हैः—

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है।
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
3. नया मार्ग निकटतम/लघुत्तम रूट से हो।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 92 रकवा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नं0 93 रकवा 1.21141 हैक्टेयर, खसरा नं0 95 रकवा 0.3667 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 200108 हैक्टेयर वाके ग्राम लेदोर कलां तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है जिसमें वादीगण शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा वादीगण की उक्त भूमि के आगे की ओर लवे सडक सडक प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 100 व खसरा नं0 94 स्थित है तथा वादीगण प्रतिवादीगण की इसी भूमि में से होकर पचासीयों वर्षों से अपने खेतो पर आने के लिए व खेती बाडी हेतु वाहन का रास्ता निकलते आ रहे हैं। वादीगण की खातेदारी की उक्त भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है तथा वादीगण की खातेदारी में उपरोक्त नंबरान 100 एवं 94 मे होकर ही वादीगण का अपनी आराजी में आने जाने का सीधा रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग वादीगण वर्षों से शांतिपूर्वक करते चले आ रहे हैं। दिनांक 27/11/2022 को वादीगण अपनी दावा में वर्णित आराजी पर खेतों की जोत वो व सार संभाल करने हेतु जाने लगे तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को अपनी आराजी खसरा नं0 100 व 94 वाके ग्राम लेदोरखुर्द में होकर जाने से मना करने लगे तथा आमादा फिसाद हो गये

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

वादीगण द्वारा जब प्रतिवादीगण से कहा कि हम तो पुरखों के समय से इसी रास्ते से निकलते आ रहे है तथा इस रास्ते के अलावा हमारी आराजी में जाने का कोई अन्य रास्ता नही है तो प्रतिवादीगण और भी अधिक नाराज हो गये तथा कहने लगे कि अब हम तुम लोगों को यहा से नही निकले देंगे जहां चाहो पुकारो वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण वादीगण को रास्ता नही निकलने दे रहे है इसलिये दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को रास्ता नही निकलने दिया तो वादीगण की भूमि को आने जाने का कोई जरिया नही रहेगा तथा वादीगण की आराजी रास्ते के अभाव में बंजड हो जावेगी तथा वादीगण को आराजी की आमदनी से वंचित होना पडेगा तथा वादीगण का कमाई का एक मात्र जरिया उक्त कृषि भूमि ही है इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नं0 100 में होकर अपनी आरजी में आने जाने का रास्ता दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत प्रार्थना–पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं0 100 व 94 लंबे सडक है और यह कथन पूर्णतः गलत है कि वादीगण पचासों वर्षों से प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं0 100 व 94 में होकर अपने खेतों पर आने के लिये व खेतीबाडी हेतु वाहन का रास्ता निकलते आ रहे हो। सत्यता यह है कि वादीगण हम प्रतिवादीगण के खेत खसरा नं0 100 व 94 में होकर वादीगण कभी भी अपने खेतों पर आते जाते नही रहे है ना ही कभी वाहनों को निकाला है ना ही हमारे उक्त खेतों में होकर कोई रास्ता मौके पर मौजूद है। वादीगण हमेशा हमेशा से करौली–मासलपुर सडक से लगी भूमि खसरा नं0 11 जो लैदोर कला के हल्का मे है तथा भूमि खसरा नं0 87, 88/2, 88/3, 90 जो लैदोरखुर्द के हल्का में स्थित है के मध्य में होकर अपेन खेत खसरा नं0 91, 92, 93 में आते जाते रहे हैं और यही रास्ता वादीगण के लिये सुगम रहा है। प्रतिवादीगण की आरजी खसरा नं0 94 व 100 में होकर वादीगण का कोई रास्ता कभी नही रहा है किन्तु वादीगण जिन आसजीयात में होकर अपनी भूमि में आवागमन करते रहे हैं वह भूमि खसरा नं0 11, 12, 13, 14 व खसरा नं0 27 को दबंग व्यक्ति कमल मीना निवासी कसारा ने खरीद लिया है और वादीगण को रास्ता निकलने

से मना कर दिया चूंकि वादीगण कमल मीना के भय से अपने पूर्व रास्ता से निकलने का साहस नही करते है और प्रतिवादीगण सभ्य, सामाजिक, कमजोर व्यक्ति होने से वादीगण ने हमारी भूमि में से रास्ता की मिथ्या कहानी बनाकर दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण की भूमि में आने जाने के लिये रास्ता करौली–मासलपुर सडके से लगे खसरा नं0 87, 88/2, 88/3, 90 व 14, 27 में होकर हमेशा हमेशा से रहा है और वादीगण खसरा नं0 100 व 94 मे होकर वादीगण की भूमि का रास्ता कभी नही रहा है। प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं0 94 व 100 की खण्डों की करीब 6 फुट उंची बाउण्ड्री कच्ची कोटरी पूव्रजों के समय की हो रही है जिसमें होकर कोई रास्ता वादीगण का नही है। वादीगण का रास्ता कमल मीना द्वारा रोक देने पर वादीगण ने उसके विरूद्ध कार्यवाही का साहस नही किया और हम प्रतिवादीगण की कमजोरी का लाभ उठाकर हमारी भूमि की कोटरी को फैलाकर जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया और हमे मारने पर आमादा हो गये तथा छुआछुत के मुकदमें में फंसाने की धमकी दी जिसकी शिकायत हमने थाना मासलपुर पर की जिस शिकायत पर वादीगण को पाबंद किया गया है। वादीगण की भूमि के लिये आने जाने का रास्ता करौली मासलपुर मुख्य सडक पर होकर हमेशा हमेशा का रहा है जिस रास्ता को वादीगण ने दावा मे छिपाया है और झूठी कहानी बनाकरा हम प्रतिवादीगण की भूमि में होकर रास्ता निकालना चाहते है यदि प्रतिवादीगण की भूमि मे होकर रास्ता निकालना चाहते है यदि प्रतिवादीगण की भूमि में होकर वादीगण को रास्ता दिया गया तो प्रतिवादीगण गरीब, मजदूर पेशा लोगों की भूमि खुर्द–बुर्द हो जावेगी और हम प्रतिवादीगण के साथ भारी अन्याय होगा। इस कारण दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किया जावे।

बहस वकील का मनन किया गया एवं उपर दर्ज तीनों बिन्दुओं के संबंध में तहसीलदार, मासलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें उन्होंने वादीगण के पास चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और नक्शा में दर्ज चाहा गया रास्ता निकटतम एवं लघुत्तम रूट से है और चाहे गये रास्ते की प्रार्थियान को अत्यधिक आवश्यकता है। बंरग सुर्ख रास्ता नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र की लम्बाई खसरा नंबर 100 में से लम्बाई 96 मीटर एवं चौडाई 3.048 मीटर है।

जिसका कुल रकबा 0.0293 है0 है। भूमि की कीमत डीएलसी दर के अनुसार 28421/–रूपये बनती है। प्रार्थियान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा नजरी में दर्शित बरंग खुर्द रास्ता की स्वीकृति दिया उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किय जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थियान विरूद्व अप्रार्थीयान स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीयान को आराजी खसरा नंबर 100 में से लम्बाई 96 मीटर एवं चौडाई 3.048 मीटर है। जिसका कुल रकबा 0.0293 है0 है। भूमि की कीमत डीएलसी दर के अनुसार 28421/–रूपये बनती है। जिसकी तीन गुना राशि 85263/– रूपये उक्त आराजी के खातेदार प्रतिवादीगण 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के नाम डी.डी. तैयार कराकर तहसीलदार, मासलपुर को जमा कराने पर तहसीलदार, मासलपुर उक्त राशि का भुगतान प्रतिवादीगण नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को कर रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा शीट में खसरा नंबर 100 में से रकबा 0.0293 है0 वांके ग्राम लैदोर खुर्द तहसील मासलपुर को प्रार्थीयान के कृषि आवागमन को अंकन 07 दिवस में करें। तहसीलदार, मासलपुर की रिपोर्ट क्रमांक भू.अभि/2026/1640 दिनांक 29.01.2026 मय नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। उक्त स्वीकृत रास्ता भूमि केवल रास्ते के लिए ही सार्वजनिक उपयोग के लिए रहेगी। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ को तहसीलदार, मासलपुर को भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)